



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-33/2018-1003 दिनांक : 3/8/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, राँची ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रचार-प्रसार, शोध पौधशालाओं का रख-रखाव एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों के लिए कुल **रु0 60.000 लाख (साठ लाख रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-24/2018-02/स्वी0 व0प0 दिनांक 02.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-24/2018- 48/आ0 व0प0 दिनांक 03.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-60 "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 60.000 लाख (साठ लाख रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
कार्यालय व्यय	19S240601101600315	2.807
विज्ञापन एवं प्रचार	19S240601101600328	57.193
कुल :-		60.000

2. प्रचार प्रसार हेतु निम्न कार्यों के लिए राशि का उप-आवंटन किया जाता है, जो निम्नवत है :-

मुख्यमंत्री जन वन यांजना से संबंधित संशोधित मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन, नदी माहेत्सव-सह-वृहत वृक्षारोपण का पुस्तक प्रकाशन एवं कार्यालय व्यय, झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में तीन-तीन जन वन योजना के Sing Boards (12"x8") एवं राँची से बाहर जाने वाले सभी सड़कों (National Highways & State Highways) Slogans Sing Boards (6"x4") कार्यों के लिए

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ उप वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।
4. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601101600315, 19S240601101600328 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमिति निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड के क्रय समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर पर ही कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित किया जाए एवं निर्धारित दर के अन्तर्गत ही राशि का भुगतान की जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-33/2018-1003 दिनांक- 3/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/
इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार/कार्यालयवार प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रस्तावित कार्यों का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि लाख रू० में

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरण	प्राक्कलित राशि	कार्यालय व्यय	प्रचार एवं विज्ञापन	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	उप वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची	मुख्यमंत्री जन वन यांजना से संबंधित संशोधित मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन, नदी माहेत्सव-सह-वृहत वृक्षारोपण का पुस्तक प्रकाशन एवं कार्यालय व्यय	10.000	2.807	7.193	10.000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रमण्डल, राँची	झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में तीन-तीन जन वन योजना के Sing Boards (12"x8") एवं राँची से बाहर जाने वाले सभी सड़कों (National Highways & State Highways) Slogans Sing Boards (6"x4") कार्यों के लिए	50.000	0.000	50.000	50.000
योग :-			60.000	2.807	57.193	60.000

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-33/2018/1003

दिनांक - 03-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय State Scheme	46771	DRNFWL207 RAJ KAPOOR SINHA DY.CF.PLANNING (NON-TRI.AREA)R	280,700.00 रुपये दो लाख अस्सी हजार सात सौ
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101600328 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 28 - विज्ञापन और प्रचार State Scheme	46772	DRNFWL207 RAJ KAPOOR SINHA DY.CF.PLANNING (NON-TRI.AREA)R	719,300.00 रुपये सात लाख उन्नीस हजार तीन सौ
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601101600328 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 28 - विज्ञापन और प्रचार State Scheme	46774	DRNFWL065 SRI TARAKNATH DFO.FOREST PUBICITY	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			

6,000,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये साहठ लाख


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (H.K.N.S.) RANCHI